

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
संपदा विभाग

सं.इएम/एस-जी/एफ-310/3918

दि. 03.11.2014

परिपत्र

प्रति:

पट्टेदार/किरायेदार/लाईसेंसधारी तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी संबंधित

इस कार्यालय के दि. 19.04.2014 के परिपत्र सं.इएम/एस-जी/एफ-310/392 के क्रम में आगे, यह नोट लें कि आयकर अधिनियम, 1961 के 194C, 194I तथा 194A के साथ पठित उसीही धारा 197 के तहत आयकर प्राधिकारियों ने प्रमाणपत्र जारी किये हैं जिनके द्वारा पोर्ट उपयोक्ता, पट्टेदार तथा किरायेदारों तथा बैंकों / वित्तीय संस्थानों को प्रमाणपत्रों में दिये टीएन (TAN) से व स्रोत पर कर की कटौती नीचे बतायेनुसार घटाये दरोसे करने के लिए प्राधिकृत किया है.

विवरण निम्नानुसार है -

अनु. क्र.	आयकर अधिनियम की धारा अनुच्छेद	आय का मद	आयकर अधिनियम के अनुसार टीडीएस की दर	स्वीकार्य निम्नतम दर (29.09.2014 से 31.03.2015 तक)
1.	194C	संविदागत आय	2%	शून्य
2.	194I	किराया	10% तथा 2%	शून्य
3.	194A	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज.	10%	2.67%

2. प्रमाणपत्र दि. 29.09.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए वैध हैं. प्रमाणपत्र सर्शित हैं तथा टीडीएस की शून्य (Nil) दर प्रमाणपत्र के कॉलम 6 में दी गई आय की प्रमात्रा पर लागू हैं. अतः, ऐसी पार्टियाँ जिनके नाम टीएन (TAN) के साथ प्रमाणपत्रों में दिखाया गया है, उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मु.पो.ट्र. को विभिन्न प्रभारों का भुगतान करते समय आयकर प्राधिकारियों द्वारा संमत शून्य (Nil) दरोंसे कर की कटौती करने हेतु प्राधिकृत किया गया है. विस्तृत ब्योरा आयकर विभाग से लिया जा सकता है.

3. प्रमाणपत्रों की प्रतियां पोर्ट उपयोक्ता तथा अन्यो की सामान्य जानकारी हेतु संपदा डिविज़न के रोकड कार्यालय के सूचना फलक पर भी प्रदर्शित की गयी हैं. कृपया यह सुनिश्चित करें कि किराये / क्षतिपूर्ति के भुगतान के समय उपरोक्त परिच्छेद 2 के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती **न की जाए**. यह प्रमाणपत्र दि. 31.3.2015 तक वैध हैं.

(शं.दि. असेरकर)
संपदा प्रबंधक